

न्यायालय अंचलाधिकारी, दनियावाँ (पटना)

आदेश फलक

दाखिल खारिज / विविध अभिलेख सं०...../

129/13-14

द-1

आवेदक श्री/श्रीमती... दीप कुमारी... पिता / प्रति... रामचंद्र प्रसाद, गाम्पुरी...
ग्राम... दामिनी... पोस्ट... दामिनी... थाना... दामिनी...
जिला... का दाखिल खारिज / नामान्तरण के सम्बन्ध में

तारीख	आदेश	अभियुक्ति										
8/6/13	<p>वादी ने दाखिल खारिज / नामान्तरण के लिए जो कागजात प्रस्तुत किया है, उसमें अंकित जमीन का विवरण निम्न प्रकार है:-</p> <table border="0"> <tr> <td>मौजा</td> <td>थाना सं०</td> <td>खाता सं०</td> <td>खेसरा सं०</td> <td>रकबा</td> </tr> <tr> <td>दामिनी</td> <td>108</td> <td>423</td> <td>1513</td> <td>12 2/2 15 2/2</td> </tr> </table> <p>अतः अंकित भूमि के दखल कब्जा के संबंध में राजस्व कर्मचारी / अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन की मांग करें, साथ ही क्रेता, विक्रेता, को नामान्तरण से संबंधित सभी फरीकैन एवं महाल पर नोटिश निर्गत करे। दिनांक 29/6/13 को अभिलेख उपस्थित करें।</p> <p>लेखान्तरीत एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>अंचलाधिकारी, दनियावाँ</p> <p style="text-align: right;">12-5-13 अंचलाधिकारी, दनियावाँ</p>	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा	दामिनी	108	423	1513	12 2/2 15 2/2	
मौजा	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा								
दामिनी	108	423	1513	12 2/2 15 2/2								
29/6/13	<p>- वादी को > दिवसों के अंदर ही वादी को वापस ले जाने के काम को करीब 15 दिनों के अंदर ही कर लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेगा तो सरकार के कामकाज में बाधा पड़ेगी।</p> <p>29/6/13 - 29/6/13 - प्रमाण की जांच के लिए प्रमाण ले लिया गया।</p> <p>अंचलाधिकारी, दनियावाँ</p> <p style="text-align: right;">12-5-13 अंचलाधिकारी, दनियावाँ</p>											